(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार मौजूदा सम्मान राशि में, जोकि 400 रुपए है, कब तक वृद्धि करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को 400/- रु० प्रति माह की दर से मानदेय प्रदान किया जा रहा है। 09 अगस्त, 1992 को मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन में 100/- रु० प्रतिमाह की वृद्धि करने की घोषणा की। मानदेय में वृद्धि करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26-1-1993 से स्वतंत्रता सेनानियों को 700/- रु० प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।

मानवाधिकार आयोग के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्ताएं

3704. श्री शिव प्रताप मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्ताएं की है,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दे देगी ?

गृह मंत्री (श्री शंकर राव चव्हाण) :

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एक मानवाधिकार आयोग के गठन का स्वागत किया है। उन्होंने यह मत प्रकट किया कि प्रस्तावित आयोग अपने कार्य में प्रभावशील होना चाहिए और कि राज्य स्तर पर ऐसे ही आयोगों के गठन के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि आयोग के गठन से राज्यों के प्राधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए और दोहरापन तथा अन्य विधि-पूर्वक स्थापित संस्थाओं के कार्य के साथ टकराव से बचना चाहिए।

(ग) मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किए जाने की आशा है।

Nagaland Government's Request for Funds

3705. **DR. MURLI MANOHAR JOSHI** : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Nagaland owes a large amount to contractors, public suppliers and Government servants and have asked funds from the Central Government;

(b) if so, what is the amount owed year-wise for the last three years together with the details; and

(c) whether Government servants and others have made representations for the clearance of their dues and if so, what action has been taken on them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) Yes, Sir.

(b) According to information furnished by the State Government the total outstanding amount owed to the contractors/suppliers is Rs. 55.52 crores as on 18-3-1993.

(c) Yes, Sir. To tide over the resource crunch, the Central Government has given ways and means advance to the State Government during the current financial year.